

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2014

सा.का.नि. 513(अ).—भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (2) के प्रथम परन्तुक तथा भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 के साथ पठित आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का 6) की धारा 76 की उप धारा (1) और (2) तथा अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार आंध्र प्रदेश सरकार के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों को भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) संशोधन विनियमावली, 2014 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियम, 1955 में, अनुसूची में,

(i) "आंध्र प्रदेश" शीर्षक और इसके अंतर्गत आने वाली प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

"आंध्र प्रदेश

	राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ झूटी पद	79
	पुलिस महानिदेशक (पुलिस बल के अध्यक्ष)	1
	पुलिस महानिदेशक	1
	अपर पुलिस महानिदेशक	7
	पुलिस महानिरीक्षक	17
	उप पुलिस महानिरीक्षक	13
	पुलिस अधीक्षक	40
1.	कुल वरिष्ठ झूटी पद	79

2.	केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का अधिकतम 40%	31
3.	राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का अधिकतम 25%	19
4.	प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का अधिकतम 3.5%	2
5.	छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का अधिकतम 16.5%	13
6.	भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 के अधीन पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त मद 1,2,3 और 4 के 33.3% से अधिक नहीं	43
7.	सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (1+2+3+4+5-6)	101
	कुल प्राधिकृत संख्या	144;

- (ii) "तमिलनाडु" शीर्षक और इसके अंतर्गत आने वाली प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः-

"तेलंगाना"

	राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ झूटी पद	61
	पुलिस महानिदेशक (पुलिस बल के अध्यक्ष)	1
	अपर पुलिस महानिदेशक	5
	पुलिस महानिरीक्षक	13
	उप पुलिस महानिरीक्षक	11
	पुलिस अधीक्षक	31
1.	कुल वरिष्ठ झूटी पद	61
2.	केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का अधिकतम 40%	24
3.	राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का अधिकतम 25%	15
4.	प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का अधिकतम 3.5%	2
5.	छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का अधिकतम 16.5%	10
6.	भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 के अधीन पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त मद 1,2,3 और 4 के 33.3% से अधिक नहीं	34
7.	सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (1+2+3+4+5-6)	78
	कुल प्राधिकृत संख्या	112

[फा. सं. 11052/1/2014-अ.भा.से.-II(क)]

दिवाकर नाथ मिश्रा, निदेशक (सेवाएं)

टिप्पणी (1): इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व, भारतीय पुलिस सेवा आंध्र प्रदेश संवर्ग की कुल प्राधिकृत पद संख्या 258 थी।

टिप्पणी (2): मुख्य विनियम दिनांक 22.10.1955 की एस.आर.ओ. सं. 3350 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात् भारतीय पुलिस सेवा के आंध्र प्रदेश संवर्ग के संबंध में निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं तथा तिथियों द्वारा संशोधित किए गए :

क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	तारीख	क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	तारीख
1	856 (अ)	30.11.1976	10.	100	20.02.1993
2	1536	12.11.1977	11.	446	11.09.1992
3	580 (अ)	19.10.1979	12.	385	30.07.1994
4	396	18.04.1981	13.	320 (अ)	31.03.1995
5	623 (अ)	21.10.1982	14.	187	12.04.1997
6	344 (अ)	20.04.1983	15.	208 (अ)	24.04.1998
7	787	28.07.1984	16.	422	13.12.2003
8	999	31.12.1988	17.	192 (अ)	24.03.2009
9	193	25.03.1989	18.	509 (अ)	16.06.2010